1-322

संख्याः 73 / XXIV-3/15/02(41)2006

प्रेषक,

डॉ0एम0सी0जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 24 फरवरी, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में दून लाईब्रेरी एण्ड सिर्च सेन्टर के कार्पस फण्ड हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू 29999000/–(रू0 दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 30987/दून लाईब्रेरी/01/2014–15, दिनांक 06 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू विततीय वर्ष 2014–15 में आय–व्ययक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले संस्थान दून लाईब्रेरी एण्ड सिर्च सेण्टर के कार्पस फण्ड हेतु संलग्न बी0एम0–09 प्रपत्र (भाग एक) में इंगित विवरणानुसार अनुदान संख्या–11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में रू0 29999000/–(रू0 दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से तथा बजट प्राविधान रू0 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) सहित कुल रूपये 30000000/– (रूपये तीन करोड़ मात्र) स्वीकृत करते हुए अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी उद्देश्य हेतु किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है।

(ख) स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय विभागीय तथा वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(घ) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 318/XXVII(1)/ 2014, दिनांक 18.03.2014 एवं शासनादेश संख्याः 183 /XXVII(1)/ 2012, दिनांक 28.03.2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

क्रमशः–2

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः–11 के अधीन आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा, के अधीन संलग्नकों बी0एम0–09 प्रपत्रों में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 346(P)XXVII(3)/2015, दिनांक 19 फरवरी,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0जोशी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 73/ XXIV-3/15/02(41)2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव,मा0 शिक्षा मंत्री,उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव,मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
7– जिलाधिकारी, देहरादून।
8– निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
11– वित्त विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
12– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

**उत्तराखण्ड शासन**
**(वित्तीय वर्ष 2014-2015)**
**बी .एम. - 09**

अनुदान संख्या - 011
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 73/XXIV-3/15/02(41)2006

अलोटमेंट आईडी - R1502110178
दिनांक - 24-Feb-2015

(In Rupees)

| क्रम संख्या | बजट प्राविधान तथा लेखासिर्षक (1) | मानक मदवार वास्तविक व्यय (2) | वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3) | अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4) | लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5) | | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6) | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2202 सामान्य शिक्षा<br>02 माध्यमिक शिक्षा<br>800 अन्य व्यय<br>01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधा<br>06 राजकीय माध्यमिक वि0 में आई0सी0टी<br>(Plan Voted) | | | | 2202 सामान्य शिक्षा<br>02 माध्यमिक शिक्षा<br>800 अन्य व्यय<br>15 दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेंटर को<br>00 दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेंटर को<br>(Plan Voted) | | | | |
| 1 | 42 - अन्य व्यय 582233000 | 0 | 552234000 | 29999000 | 20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज सह | 29999000 | 30000000 | 552234000 | |
| | योग | | | 29999000 | योग | 29999000 | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी

([illegible] दुबे)
[illegible] सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन।